स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

चौधरी तिलोत्तमा दास और अन्य

12 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण रंजन गोगोई और आर 0 भानुमती]

सेवा कानून – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना – निवास का आवंटन – अपीलकर्ता की स्टील प्लांट– इकाई द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) – उत्तरदाताओं ने वी आर एस का विकल्प चुना – इसके बाद इस्पात संयंत्र ने ऐसे पूर्व कर्मचारियों को आवासों के आवंटन के लिए एक योजना शुरू की जिसमें कर्मचारी 8 आवंटित आधिकारिक आवासों को वी आर एस लेने के बाद 22 महीने की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर ऐसे आवासों में रहने की अनुमति दी गई थी – उत्तरदाताओं को उक्त योजना के तहत फ़्लैट आवंटित किए गए – इसके बाद, इस्पात संयंत्र द्वारा 2002 की एक और योजना शुरू की गई, जिसमें सेवारत कर्मचारियों को दीर्घकालिक आधार (33 वर्ष) पर आवासों के आवंटन पर विचार किया गया– पूर्व कर्मचारियों द्वारा चुनौती – इस्पात संयंत्र को दीर्घकालिक आधार पर उनके व्यवसाय में आवासों के आवंटन के लिए प्रतिवादियों के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करना – अपील पर, निर्णय : 2002 की योजना तीन महीने के लिए वैध थी और इसके संचालन को बढ़ाया नहीं गया था – यह केवल नियमित / सेवारत कर्मचारियों पर लागू था और पूर्व कर्मचारियों पर नहीं – उत्तरदाताओं को दीर्घकालिक पट्टे पर आवंटन के लिए उनके मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था – अतिरिक्त हलफनामे दिनांकित 22.1.2018 में अपीलकर्ता ने कहा कि आज स्टील प्लांट द्वारा निर्मित/रखरखाव वाले आवासों का कोई भी दीर्घकालिक पट्टा संभव नहीं था और निकट भविष्य में आवासों की कमी होगी और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए निर्माण करने होंगे– इसके मद्देनजर, अपीलकर्ता को प्रतिवादियों– उसके पूर्व कर्मचारियों को आधिकारिक आवास का कोई दीर्घकालिक पट्टा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है – उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त – हालांकि, प्रतिवादियों ने 33 महीने की समाप्ति पर आवास का कब्जा खाली करने का निर्देश दिया – बाद की घटनाएं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय का

निर्णय : 1.1 "कर्मचारियों को मकान पट्टे पर देने के लिए सेल योजना, 2002" तीन महीने की अवधि के लिए वैध थी। इसके संचालन को बढ़ाया नहीं गया था। 2002 की उक्त योजना के तहत, पूर्व कर्मचारियों, प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता जिस श्रेणी से संबंधित हैं, को दीर्घकालिक पट्टे पर आवंटन के लिए उनके मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वास्तव में, उड़ीसा राज्य और अपीलकर्ता–सेल के बीच पट्टा विलेख यह बहुत स्पष्ट करता है कि भूमि का उपयोग केवल इस्पात संयंत्र और उसके सहायक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और अपीलकर्ता सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं करेगा। [पैरा 12] [465–जी–एच; 466–ए]

1.2 कर्मचारियों को मकान पट्टे पर देने के लिए सेल योजना, 2002 वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। इस बीच काफी समय बीत चुका है। वर्ष 2002 की योजना केवल नियमित/सेवारत कर्मचारियों पर लागू थी न कि पूर्व कर्मचारियों पर। तत्काल मुकदमे के लंबित रहने के कारण लंबे अंतराल में 2002 की योजना को लागू करने का आधार ही बदल गया है और अपीलकर्ता के अतिरिक्त हलफनामे में अब बताए गए तथ्यों से संकेत मिलता है कि आज आर एस पी द्वारा निमत/अनुरक्षित आवासों का कोई दीर्घकालिक पट्टा व्यवहार्य नहीं है। वास्तव में, अपीलकर्ता के अनुसार, निकट भविष्य में आवास/आवासों की कमी होगी और शायद, आर एस पी के उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए निर्माण करने होंगे। [पैरा 13] [466–B–D]

1.3 ऐसी स्थिति में जहां 2002 की योजना के तहत प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं में कोई कानूनी अधिकार निहित नहीं समझा जा सकता है और 2002 की उक्त योजना के संचालन को आज अतिरिक्त हलफनामे में बताए गए कारणों के कारण अपीलकर्ता द्वारा व्यवहार्य या आवश्यक नहीं माना जाता है, तो यह प्रतीत नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता को आर एस पी में आधिकारिक आवास के किसी भी दीर्घकालिक पट्टे को देने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। प्रतिवादियों के लिए– रिट याचिकाकर्ता जो इसके पूर्व कर्मचारी हैं। इस तरह के बाद के तथ्य और घटनाक्रम जो मध्यस्थता के दौरान हुए हैं, निश्चित रूप से राहत को बदलने और इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों का उत्तर देने में महत्वपूर्ण होंगे। इसके मद्देनजर, प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं को इस समय कोई राहत नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता (53 की संख्या में) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी हो, को आज से 33 (तैंतीस) महीने की अवधि के लिए आवासों के कब्जे में रहने की अनुमति दी जाए, जिसकी समाप्ति पर वे उक्त आवास/आवास का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सक्षम प्राधिकारी को सौंप देंगे। आर एस पी। [पैरा 14–15] [466–ई–एफ, जी–एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1834 वर्ष 2018.

रिट याचिका (सिविल) संख्या 1224 वर्ष 2002 में पश्चिम बंगाल के कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 07.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी.ए. नं. 1835 वर्ष 2018.

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, सुनील कुमार जैन, पुण्य गर्ग, अभिषेक जैन अधिवक्ता।

वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नाकर दास, सिबो शंकर मिश्रा, उमा कांत मिश्रा, निरंजन साहू, शिबाशीष मिश्रा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति.

एसएलपी (सी) संख्या 34336 वर्ष 2009

1. अनुमति दी गई।

2. वर्ष 1999 में, दिनांक 12 फरवरी, 1999 को राउरकेला इस्पात संयंत्र (जिसे बाद में "आर एस पी" के रूप में संदर्भित किया गया) ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 1999 शुरू की, जिसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया गया जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्षों तक सेवा की थी या जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। तत्पश्चात् दिनांक 9 अगस्त, 1999 के परिपत्र द्वारा आर एस पी ने सेल वी आर एस योजना, 1999 के अंतर्गत पृथक पूर्व कर्मचारियों को आवासों के आबंटन की योजना नामक एक अन्य योजना शुरू की। 1999 की उक्त योजना के अंतर्गत, आर एस पी के जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए थे, उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर आर एस पी/कंपनी छोड़ने के बाद 22 (बाईस) महीनों की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर ऐसे आवासों में रहने की अनुमति दी गई थी।

3. उत्तरदाताओं, संख्या में 53 (53) को आर एस पी द्वारा आवास आवंटित किए गए थे और उन्होंने योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। तदनुसार, उन्हें 22 (बाईस) महीनों की अवधि के लिए आधिकारिक आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। तत्पश्चात् आर एस पी ने "कर्मचारियों को मकान पट्टे पर देने के लिए सेल योजना, 2002" नामक एक अन्य योजना शुरू की। यह 22 जुलाई, 2002 की थी। वर्ष 2002 की उक्त योजना में सेवारत कर्मचारियों को दीर्घकालिक लीज आधार (33 वर्ष) पर मकानों/फ़्लैटों के आबंटन पर विचार किया गया था। प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ताओं जैसे पूर्व कर्मचारियों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया था।

4. 2002 की उक्त योजना को उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की दलीलों से प्रतीत होता है, जबकि अपीलकर्ता – स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उस समय 2002 की उक्त योजना के ढांचे के भीतर पूर्व कर्मचारियों को शामिल करने के लिए दबाव डाला था, राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक आलोचना को आमंत्रित कर सकती है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था। दिनांक 7 सितम्बर, 2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा विचाराधीन रिट याचिका को निम्नलिखित प्रचालनात्मक निदेश द्वारा बंद/निपटाया गया था :

> "इसे देखते हुए, हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं जिसमें ओ.पी.– सेल अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें, जो उनके कब्जे में हैं, अनुलग्नक –5 में 22.7.2002 के परिपत्र के संदर्भ में दीर्घकालिक उप–पट्टे के आधार पर। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं को आवास दीर्घकालिक उप–पट्टे के आधार पर आवंटित किए जाते हैं, तो ऐसे आवासों की लागत की गणना उस दर पर की जाएगी जिस पर यह योजना लागू होने के समय प्रचलित थी, उस पर @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ और इसका भुगतान याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता उपरोक्त लागत के साथ अवैतनिक घर का किराया, बिजली शुल्क, पानी शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं से दंडात्मक किराए का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश केवल उन याचिकाकर्ताओं से

संबंधित है, जो वर्तमान में आवासों के कब्जे में हैं। रिट याचिका के साथ–साथ विविध वाद संख्या 842/2002, 3924/2003 और 354/2006 को भी तदनुसार निपटाया जाता है।

5. इससे व्यथित होकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है।

6. हमने अपीलकर्ता– स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार, प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दास और ओडिशा राज्य के विद्वान वकील श्री शिबाशीष मिश्रा को सुना है।

7. हालांकि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उप–पट्टा देने के लिए सेल के अधिकार सहित कई आधारों पर आग्रह किया गया है, हमारे समक्ष अपील में अपीलकर्ता का मामला मुख्य रूप से बाद के तथ्यों पर आधारित है, जिन्हें 22 जनवरी, 2018 के एक अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है। 22 जनवरी, 2018 के उपरोक्त अतिरिक्त हलफनामे में यह कहा गया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक इकाई आर एस पी की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 2 (दो) मिलियन टन प्रति वर्ष थी, जिसका विस्तार किया गया और 4.2 मिलियन टन प्रति वर्ष के लक्ष्य उत्पादन तक पहुंचने के लिए संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया। यह 13684 करोड़ रुपये की कुल लागत पर था और वर्ष 2013 में पूरा हुआ था। 22 जनवरी, 2018 के उक्त अतिरिक्त हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सेल अब आर एस पी की वार्षिक क्षमता को 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसके लिए लगभग 2.6 मिलियन करोड़ रुपये का विशाल अवसंरचनात्मक निवेश करना होगा। अपीलकर्ता द्वारा 22 जनवरी, 2018 के उक्त अतिरिक्त हलफनामे में आगे कहा गया है कि यह ध्यान में रखते हुए कि प्रति मिलियन टन उत्पादन में कर्मचारियों की इष्टतम संख्या 3200 होनी चाहिए, एक बार उत्पादन क्षमता 7.5 मिलियन टन तक बढ़ने के बाद आर एस पी में लगभग 24000 कर्मचारी होंगे। यह तर्क दिया गया है कि राउरकेला की पूरी उपनगर आर एस पी द्वारा ही स्थापित और अनुरक्षित है, इसलिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, राजस्व अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी स्कूलों/ कॉलेजों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) आदि के कर्मचारियों को अतिरिक्त आवास प्रदान करना आवश्यक है। 22 जनवरी, 2018 के उक्त अतिरिक्त हलफनामे में, अपीलकर्ता ने आगे कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार दीर्घकालिक पट्टे वर्तमान में निषिद्ध हैं। यह भी कहा गया है कि वर्तमान में उपलब्ध आवास लगभग 19916 हैं जिनमें से लगभग 18300 आवासों में पहले से ही कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के विभिन्न अन्य कर्मचारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह भी कहा गया है कि लगभग 250–300 आवास जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। शेष/रिक्त आवासों में न केवल आने वाले कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता होगी बल्कि विस्तार/आधुनिकीकरण योजनाओं के संबंध में स्थल पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों की भी आवश्यकता होगी। उपरोक्त बयानों और 22 जनवरी, 2018 के अतिरिक्त हलफनामे में इस संबंध में संलग्न आधिकारिक पत्राचार / निर्णयों के आधार पर अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय के आदेश में उचित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

8. प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दास ने 22 जनवरी, 2018 के अतिरिक्त हलफनामे में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयानों पर विवाद किया है और अपीलकर्ता द्वारा दायर 22 जनवरी, 2018 के उक्त अतिरिक्त हलफनामे पर प्रतिवादी के जवाब की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता द्वारा दायर 22 जनवरी, 2018 के अतिरिक्त हलफनामे में दिए गए विभिन्न बयानों का विरोध करने के अलावा, प्रस्तुत किया है कि आर एस पी घाटे की चिंता है और निश्चित रूप से अपने कार्यबल को कम कर रहा है। यह दावा किया जाता है कि बड़ी संख्या में खाली आवास उपलब्ध हैं और यदि आर एस पी की उत्पादन क्षमता को 7.5 मिलियन टन तक बढ़ा दिया जाता है, तो भी आवास / आवासों का अधिशेष होगा।

9. प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 23 अगस्त, 2017 के एक परिपत्र को अभिलेखों में लाया है जिसके द्वारा 33 (तैंतीस) महीनों की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर एक कमरे/1 बी.आर. (एल.टी) आवास के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे आवेदन आर एस पी के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों से आमंत्रित किए गए हैं जो आर एस पी/कंपनी से अलग हो जाएंगे। प्रतिवादियों – रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त तथ्य ने अपीलकर्ता – स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए दावे को झूठा साबित कर दिया है।

10. जहां तक ओडिशा राज्य का संबंध है, ओडिशा राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री शिबाशीष मिश्रा ने यह रुख अपनाया है कि अपीलकर्ता– स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस मामले में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जो पट्टे की उन शर्तों के अधीन है जिनके तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भूमि आवंटित की गई है।

11. हमने इस मामले पर विचार किया है।

12. "कर्मचारियों को मकान पट्टे पर देने के लिए सेल योजना, 2002" तीन महीने की अवधि के लिए वैध थी। इसके संचालन को बढ़ाया नहीं गया था। 2002 की उक्त योजना के तहत, पूर्व कर्मचारियों, प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता किस श्रेणी से संबंधित हैं, को दीर्घकालिक पट्टे पर आवंटन के लिए उनके मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वास्तव में, उड़ीसा राज्य और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच पट्टा विलेख में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि का उपयोग केवल इस्पात संयंत्र और उससे सहायक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

13. "कर्मचारियों को आवासों को पट्टे पर देने के लिए सेल योजना, 2002" वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। इस बीच काफी समय बीत चुका है। वर्ष 2002 की योजना केवल नियमित/सेवारत कर्मचारियों पर लागू थी न कि पूर्व कर्मचारियों पर। वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के कारण लंबे अंतराल में 2002 की योजना को लागू करने का आधार बदल गया है और अपीलकर्ता– स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 22 जनवरी, 2018 के अतिरिक्त हलफनामे में बताए गए तथ्यों से संकेत मिलता है कि आज आर एस पी द्वारा निर्मित/अनुरक्षित आवासों का कोई दीर्घकालिक पट्टा व्यवहार्य नहीं है। वास्तव में, अपीलकर्ता स्टील अथॉरिटी

ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार, निकट भविष्य में आवास/आवासों की कमी होगी और शायद आर एस पी के उत्पादन स्तर में वृद्धि के कारण आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए निर्माण करने होंगे।

14. ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादियों में कोई कानूनी अधिकार निहित नहीं समझा जा सकता है – 2002 की योजना के तहत रिट याचिकाकर्ताओं और 2002 की उक्त योजना के संचालन को आज अपीलकर्ता द्वारा 22 जनवरी 2018 के अतिरिक्त हलफनामे में बताए गए कारणों के कारण व्यवहार्य या आवश्यक नहीं माना जाता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम यह नहीं देखते हैं कि अपीलकर्ता को उत्तरदाताओं को आर एस पी में आधिकारिक आवास का कोई दीर्घकालिक पट्टा देने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है – रिट याचिकाकर्ता जो इसके पूर्व कर्मचारी हैं। इस तरह के बाद के तथ्य और घटनाक्रम जो मध्यस्थता के दौरान हुए हैं, निश्चित रूप से राहत(ओं) को बदलने और इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों का उत्तर देने में महत्वपूर्ण होंगे।

15. नतीजतन और उपरोक्त के आलोक में हमारा विचार है कि प्रतिवादियों–रिट याचिकाकर्ताओं को इस समय कोई राहत नहीं दी जा सकती है। नतीजतन, हम इस अपील की अनुमति देते हैं; उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करें, लेकिन साथ ही हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता (संख्या में 53) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी हो, को आज से 33 (तैंतीस) महीने की अवधि के लिए आवासों पर कब्जा करने की अनुमति दी जाए, जिसकी समाप्ति पर वे आर एस पी के सक्षम प्राधिकारी को उक्त आवास/आवास का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।

16. इसके फलस्वरूप अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

<u>एस.एल.पी.(सी) सं.2564 वर्ष 2010</u>

17. अनुमति दी गई।

18. अपील का निपटान विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 34336 वर्ष 2009 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित निर्णय/आदेश के अनुसार किया जाता है।

निधि जैन अपीलों का निपटारा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

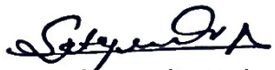

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733